



भारत स्काउट एण्ड गाइड, उत्तर प्रदेश

प्रादेशिक प्रधान कार्यालय: स्काउट भवन, गोल मार्केट, महानगर, लखनऊ-226006

रजिस्ट्रेशन संख्या एस0 1-9407/1959-1960

E.Mail : upscoutsguides@yahoo.com Website : www.bsgup.org

मो0 नं0-9839392275

पत्रांक संख्या: लेखा / ५१२/2026-27


दिनांक १२ मई, 2026

कार्यालय आदेश

भारत स्काउट्स एवं गाइड्स, उ0प्र0 संस्था के अधिकारियों/कर्मचारियों को मिलने वाले यात्रा व्यय के संशोधित नियम निम्नानुसार है, जो तत्काल प्रभाव से लागू होंगे :-

संवर्ग	अधिकारी / कर्मचारी	संस्था में वर्तमान में अधिकृत श्रेणी	संशोधित श्रेणी / दर
1	मुख्यायुक्त	हवाई जहाज का एकजीक्यूटिव क्लास	हवाई जहाज का एकजीक्यूटिव क्लास
2	प्रादेशिक आयुक्त (स्का0/गा0), प्रादेशिक कोषाध्यक्ष	हवाई जहाज का इकोनॉमी क्लास अथवा रेल का कोई भी क्लास	हवाई जहाज का इकोनॉमी क्लास अथवा रेल का कोई भी क्लास
3	प्रादेशिक सचिव/संयुक्त सचिव, प्रादेशिक संगठन आयुक्त (स्का0/गा0), प्रादेशिक प्रशिक्षण आयुक्त (स्का0/गा0), सदस्य कार्यकारिणी समिति, सदस्य वित्त समिति	ए0सी0 3/ ए0सी0 बस	अधिकतम रेल के ए0एसी0 2 के किराये के समकक्ष अनुमन्य है।
4	संयुक्त प्रादेशिक संगठन/प्रशिक्षण आयुक्त, सहायक प्रादेशिक संगठन आयुक्त(स्का0/गा0), लेखाकार, वरिष्ठ सहायक	स्लीपर क्लास अथवा साधारण बस	अधिकतम रेल के ए0एसी0 3 के किराये के समकक्ष अनुमन्य है।
5	स्टेनो, सहायक लेखाकार, कार्यालय सहायक	स्लीपर क्लास अथवा साधारण बस	अधिकतम रेल के ए0एसी0 3 के किराये के समकक्ष अनुमन्य है।
6	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	स्लीपर क्लास अथवा साधारण बस	स्लीपर क्लास अथवा साधारण बस
7	दैनिक भत्ता (आठ घंटे ठहराव पर)	संवर्ग-1 रू0 500.00 संवर्ग-2 रू0 400.00 संवर्ग-3 से संवर्ग-6 रू0 150.00 प्रति दिन	संवर्ग-1 रू0 800.00 संवर्ग-2 रू0 600.00 संवर्ग -3 से संवर्ग-5 रू0 400.00 प्रति दिन संवर्ग - 6 रू0 300.00
8	इन्सीडेन्टल	रू0 50.00 प्रति यात्रा नियत
9	शिविर अवधि में एवं जहाँ रहने एवं खाने की व्यवस्था नि:शुल्क है	दैनिक भत्ते का 1/3 देय।	जहाँ खाने व रहने में से एक सुविधा अनुमन्य है, वहाँ 1/2 एवं जहाँ दोनो अनुमन्य है वहाँ डी0ए0 1/4 देय।
10	रेलवे आरक्षण / बस का टिकट	टिकट प्रस्तुत करना होगा	टिकट प्रस्तुत करना होगा
11	स्थानीय यात्रा / जनपदीय यात्रा निजि वाहन - 1. कार/चार पहिया 2. बाईक/स्कूटी पब्लिक ट्रॉन्सपोर्ट (आटो रिक्शा/बैटरी रिक्शा)	ओला/ऊबर का वास्तविक रसीद अथवा बिल रू0 6.00 प्रति कि0मी0 की दर से रू0 3.00 प्रति कि0मी0 की दर से यथावत् जो किराया बनता है।	ओला/ऊबर का वास्तविक रसीद अथवा बिल रू0 7.00 प्रति कि0मी0 की दर से रू0 4.00 प्रति कि0मी0 की दर से यथावत् जो किराया बनता है।

- नोट - 1. मुख्यायुक्त महोदय को अधिकार होगा कि वह संस्था कार्यहित में किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को उसके अधिकृत श्रेणी के ऊपर के किसी भी श्रेणी की अनुमति दे सकते हैं।
2. निजी वाहन से यात्रा करने पर वाहन संख्या सहित यात्रा का विवरण लिखित में देना होगा।



(आनन्द सिंह रावत)

प्रादेशिक सचिव

प्रादेशिक सचिव

भारत स्काउट और गाइड, उ०प्र०

प्रतिलिपि: निम्नलिखित की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित :-

1. प्रादेशिक मुख्यायुक्त, भारत स्काउट और गाइड, उ०प्र०
2. प्रादेशिक आयुक्त (स्काउट/गाइड), भारत स्काउट और गाइड, उ०प्र०
3. प्रादेशिक कोषाध्यक्ष, भारत स्काउट और गाइड, उ०प्र०
4. समस्त अधिकारी/कर्मचारी, भारत स्काउट और गाइड, उ०प्र०।



(आनन्द सिंह रावत)

प्रादेशिक सचिव

भारत स्काउट और गाइड, उ०प्र०